सूचि 14 फारम संख्या–562

आदेश पत्रक

केश का प्रकार – दाखिल खारीज

अभिलेख सख्या – 202/16-17

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपण्णी तारीख सहित
14/5/16	श्री भैरव साव पिता स्व० चिरो साव ग्राम डंगारडीह अंचल ~~देवरी~~ जमुआ जिला गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यौरे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री गेन्दु साव पिता स्व० सुन्दर साव ग्राम डंगारडीह अंचल ~~देवरी~~ जमुआ से बजरिये केवाला संख्या 8363 दिनांक 30.11.93 के द्वारा क्रय किया गया है।	

ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकवा
किसगो गादी	236	141	2003	045

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक 28/5/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित

तत्कालीन अंचल अधिकारी [illegible] के हो जाने के कारण [illegible] पंजी 27 [illegible] अभिलेख [illegible] लंबित [illegible] हेतु उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

30/5/14 आदेश अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नही दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरूआ खास/ रैयती/ बकास्त/ खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी II के भेलूम संख्या XII के पृष्ठ संख्या 16 ....पर विक्रेता कपिला सुन्दर साव के नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एंव सैरात से बाहर है जमीन पर केता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एंव अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/~~श्री मति~~ भैरव साव पिता/~~पति~~ स्व० निरो साव ग्राम डेंगारडीह के नाम दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाती है।

ग्राम	थाना न0	प्लॉट न0	रकवा	माल
फिरकोगादी	236	2003	045	5पैसा

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एंव संसोधित

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दे।

अंचल अधिकारी
देवरी।

शुद्धि पत्र निर्गत किया